आदेश/अनुदेश का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963

सरकार ने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को विधि सम्मत बनाने के लिए सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। 1967 में संशोधित किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :

धारा 1 : अधिनियम का संक्षिप्त नाम तथा धारा 3 के जनवरी 1965 से लागू होने का प्रावधान किया गया।

धारा 2 : 'नियम दिन' तथा हिन्दी की परिभाषाएं दी गई है।

धारा 3(1): संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी, अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहेगा, जिनके लिए व पहले प्रयोग में लाई जाती थी।

3(2): जब तक कर्मचारी वृन्द हिन्छी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, उस समय तक पत्रादि का अनुवाद अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में भी दिया जाएगा।

3(3): सकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों (Lincenses), अनुज्ञा पत्रों (Permits) आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं ही प्रयोग में लाई जाएंगी।

3(4): सरकार नियम बनाते समय यह सुनिश्चित करेगी कि हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण कर्मचारी अपना काम प्रभावी रूप से कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित नहीं होता है।

3(5): जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्य उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, उस समय तक 3(1) 3(2) तथा 3(3) के उपबन्ध (provision) लागू रहेंगे।

धारा (4): हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाएगी जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवायेंगे तथा सभी राज्य सरकारों को भिजवाई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ऐसे निदेश निकाल सकेंगे जो धारा 3 के उपबंधों से असंगत (inconsistent) न हों।

धारा (5): शासकीय राजपत्र (Gazette) में राष्ट्रपति के प्राधिकार (Authority) से प्रकाशिज किसी केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, उपविधि (Bye Law), विधेयकों, संशोधनों का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (Authoritative Text) माना जाएगा।

धारा (6): कतिपय दशाओं में राज्य के विधान मंडलों द्वारा पारित किए गए (Promulgated) अथवा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अधिनियम में के हिन्दी अनुवाद को उनका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

धारा (7): हिन्दी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए प्राधिकृत कर सकता है, किन्तु उनके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

धारा (8): केन्द्र सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

धारा (9): इस अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के उपबंध (Provision) जम्मू और कश्मीर पर लागू न होंगे।